

न्यायालय विशेष न्यायाधीश/बाल न्यायालय (पोक्सो अधिनियम), फिरोजाबाद।



न्यायालय विशेष न्यायाधीश/बाल न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

पी०एस०टी० सं०-0002132/2021

सी०एन०आर० संख्या-UPFD01-007827-2021

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

ए पुत्र हरिश्चन्द्र, निवासी परिहारमऊ जाजमर्इ, थाना नगला खंगर, जिला
फिरोजाबाद।

----- बाल अपचारी।

मु०अ०सं०-176/2021

धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं०

धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम।

थाना-दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।

-: बाल न्यायालय निर्णय :-

1- माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पा मित्तल बनाम एन०सी०टी० दिल्ली, (2020) 2 एस०सी०सी० 787 में आदेशित किया है कि बाल अपचारी की पहचान निर्णय/आदेश में अंकित ना की जाये। इसी कारण प्रस्तुत मामले में बाल/किशोर अपचारी का नाम ना लिखकर केवल बाल अपचारी (ए) लिखा जाएगा।

2- प्रस्तुत प्रकरण पीड़िता के बलात्कार होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), आ० प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आ०ई०आर० 2006 एस०सी० 2214 एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट आ०रैर विटनेश प्रोटेक्शन

पी०एस०टी० सं०-0002132/2021, अ०सं०-176/2021, राज्य बनाम बाल अपचारी ए, धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, थाना-दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।

स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित नहीं करने हेतु निर्देशित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे '**पीड़िता**' (आर) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०-176/2021, धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्श क-8 प्रस्तुत करने पर बाल अपचारी (ए) का विचारण किया गया।

4- अभियोजन कथानक लिखित तहरीर वादी प्रदर्श क-1 के अनुसार इस प्रकार है कि वादी रामेश्वर पुत्र स्व० लालाराम, ऊंट वाली गली, हिमायुंपुर का निवासी है। दिनांक 03-04-2021 को बाल अपचारी (ए) पुत्र हरीश्वन्द्र नामक लड़का मेरी नातिन/पीड़िता आर को घर से मेरी व मेरी पत्नी की गैर मौजूदगी में बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। मेरी नातिन आर पर फोन भी था, अब उसका नं०-6397005562 व नया नम्बर-8006324121 बन्द जा रहा है। लडके का नम्बर-8208388272 है।

5- वादी रामेश्वर की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद में मु०अ०सं०-176/2021, धारा-363, 366 भा०दं०सं० बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4 में किया गया।

6- मामले की विवेचना एस०आर्०इ० धर्मेन्द्र सिंह द्वारा की गयी। विवेचक द्वारा पीड़िता एवं समस्त गवाहों के बयान अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 बनाया गया। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया गया आरैर सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित कर मामले में धारा-376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी करते हुए विवेचना के पश्चात बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रदर्श क-8 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

7- तत्पश्चात बाल अपचारी (ए) द्वारा जरिए संरक्षक/बाबा सूबेदार स्वयं को किशोर घोषित किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। बाल न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 04-09-2021 द्वारा बाल अपचारी की घटना दिनांक 03-04-2021 को आयु 16 वर्ष, 06 माह, 25 दिन पाते हुए किशोर घोषित किया गया आरैर किशोर अपचारी की पत्रावली अग्रिम कार्यवाही/विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड, फिरोजाबाद प्रेषित की गयी।

8- किशोर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30-09-2021 से पत्रावली धारा-15 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आरैर संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रारम्भिक निर्धारण, घटना दिनांक 03-04-2021 को बाल अपचारी की आयु 16 वर्ष, 06 माह, 25 दिन तथा घटना कारित करने की शारीरिक व मानसिक क्षमता रखने के कारण विचारण हेतु बाल न्यायालय (Children Court) प्रेषित की गई।

9- बाल अपचारी (ए) को विचारण के लिए आहूत किया गया। बाल अपचारी (ए) न्यायालय उपस्थित आया। बाल अपचारी (ए) को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान की गयीं।

10- बाल न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप दिनांक 10-06-2022 को विरचित किया गया। बाल अपचारी (ए) द्वारा आरोपों से इन्कार किया गया तथा विचारण की माँग की गयी। फलस्वरूप अभियोजन साक्षी आहूत किये गये।

11- अभियोजन की आरैर से उक्त आरोपों को बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	रामेश्वर (वादी)(दादा)	लिखित तहरीर प्रदर्श क-1,
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (आर)	बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-3	कां० क्लर्क रनवीर सिंह	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० कायमी मु० प्रदर्श क-4

पी०डब्लू०-4	डा० रुचि यादव	मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श क-5 व पूरक मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-6
पी०डब्लू०-5	उ०नि० धर्मेन्द्र सिंह (विवेचक)	नक्शा नजरी प्रदर्श क-7 एवं आरोप-पत्र प्रदर्श क-8
पी०डब्लू०-6	सुनील राठौर (पिता)	--
पी०डब्लू०-7	श्रीमती ऊषादेवी (माँ)	--
पी०डब्लू०-8	डा० श्याम मोहन गुप्ता	पीड़िता का आयु निर्धारण प्रपत्र प्रदर्श क-9
पी०डब्लू०-9	डा० अनुराग शुक्ला	पीड़िता का एक्सरे अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट प्रदर्श क-10

12- पी०डब्लू०-1 वादी रामेश्वर ने कहा कि घटना दिनांक 03-04-2021, शाम करीब 6 बजे की है। मेरी नातिन/पीड़िता आर, उम्र करीब 15-16 वर्ष को बाल अपचारी (ए) बहला फुसला कर ले गया। घटना के समय मेरी पत्नी आर मैं घर पर मौजूद नहीं थे। मेरी नातिन आर पर फोन भी था, लेकिन उसका नम्बर बन्द जा रहा था। बाल अपचारी (ए) का नम्बर-8208388272 था आर मेरी नातिन आर का नं०-6397005562 था। घटना की तहरीर मैंने एक लड़के से बोल-बोल कर लिखाई थी। तहरीर लिखने के बाद मुझे पढ़कर सुनाई थी, तब मैंने तहरीर पर हस्ताक्षर किये थे। मैंने जो तहरीर थाने में दी थी, वह पत्रावली पर है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। घटना के सम्बन्ध में मेरा पुलिस ने बयान लिया था। घटना स्थल का निरीक्षण मेरी निशानदेही पर किया था। हाजिर अदालत बाल अपचारी (ए) मेरी नातिन/ पीड़िता आर को बहला फुसला कर ले गया था। इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयान में लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया गया है।

13- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (आर) ने कहा कि घटना दिनांक 03-04-2021, शाम करीब 5-6 बजे की है। मेरे मामा का लड़का बाल अपचारी (ए) को मैं जानती थी। उसने मुझसे कहा था कि चलो घूमने चलते हैं। फिर मैं उसके साथ चली गई। बाल अपचारी (ए) मुझे सोनीपत लेकर गया था। बाल अपचारी (ए) मुझे बस में बैठा कर ले गया था। बाल अपचारी (ए) ने मुझे एक

कमरा में रखा था, जो उसने ले रखा था। फिर बाल अपचारी (ए) ने मेरे साथ कमरे में जबरदस्ती की। बाल अपचारी (ए) ने मेरे नीचे के कपड़े उतार कर मेरे साथ गन्दा काम किया था। गन्दे काम का मतलब मैं जानती हूँ। उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था। घटना के बारे में मैंने पुलिस को सारी बात बता दी थी। बाल अपचारी (ए) मुझे बहला फुसला कर ले गया था। पुलिस ने मेरा डाक्टरी परीक्षण एवं मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान कराया था। साक्षी ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० पर लगे फोटो को अपना बताते हुए उक्त बयान पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की है तथा कहा है कि यह वही बयान है जो मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। इस गवाह द्वारा अपने सशपथ बयान में, बयान धारा-164 दं०प्र०सं० को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया गया है।

14- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (आर) ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 में कहा है कि -

*मेरे मामा के लड़के का नाम
अंकेश आरैर वो मेरे घर में रहने लगा।
वो मुझसे बोला कि घूमने चलते हैं
आरैर मैं चली गयी उसके साथ। सोनीपत
लेकर गया। मुझे बस में लेकर गया।
आसपास लोग थे। वो मुझे रूम में ले
गया आरैर मेरे साथ जबरदस्ती की।
मुझे अपनी मम्मी पापा के साथ जाना
है। मुझे आरैर कुछ नहीं कहना।*

15- पी०डब्लू०-3 कां० क्लर्क रनवीर सिंह ने कहा कि दिनांक 06-04-2021 को मैं थाना दक्षिण में बतौर कां० क्लर्क तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा रामेश्वर पुत्र स्व० लालाराम की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-176/2021, धारा-363, 366 भा०दं०सं० बनाम बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध पंजीकृत किया था, जिसका खुलासा उसी दिनांक 06-

04-2021 को समय करीब 14:30 बजे जी०डी० सं०-51 में किया था, जो पत्रावली पर हैं। इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-4 को साबित किया है।

16- पी०डब्लू०-4 डा० रूचि यादव ने कहा कि दिनांक 12-4-2021 को मैं सी०एम०आ० कार्यालय, फिरोजाबाद में तैनात थी। मेरे द्वारा पीड़िता आर पुत्री सुनील राठौर, उम्र लगभग 17 वर्ष, निवासी ऊंट वाली गली, हिमायुंपुर, थाना दक्षिण, जिसको होमगार्ड सावित्री देवी द्वारा आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षण हेतु लाया गया था, का आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षण किया था। लड़की के पता सुनील राठौर द्वारा लिखित में सहमति दी गयी। पीड़िता के पहचान चिन्ह के तौर पर चेहरे के दाहिने भाग पर, दाहिनी आँख के लेटरल कोने से 3 से०मी० दूरी पर एक काला तिल मौजूद था।

बाह्य परीक्षण -

शरीर के किसी हिस्से पर किसी भी प्रकार का कोई भी चोट का या कोई भी नीलगू निशान नहीं। घटना के बाद पीड़िता अपने वस्त्र जो घटना के समय पहने थी, उन्हें बदल कर आयी थी।

आन्तरिक परीक्षण -

पीड़िता के आन्तरिक परीक्षण पर आन्तरिक हायमन झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। वैजाइनल परिनियल एरिया में किसी भी प्रकार का कोई भी चोट का निशान, सूजन, लालिमा आर कोई भी रक्तश्राव नहीं था। मेरे द्वारा दो वैजाइनल स्मियर स्लाइड तैयार करके, सील करके हिस्टो पैथोलॉजिकल जाँच के लिए जिला अस्पताल, फिरोजाबाद भेजी गयीं। पीड़िता को अल्ट्रासाउण्ड के लिए भेजा गया तथा आयु निर्धारण के लिए सी०एम०आ० कार्यालय, फिरोजाबाद भेजा गया। पीड़िता (आर) की प्राथमिक जाँच रिपोर्ट उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर उसके द्वारा पीड़िता के दांये हाथ का निशानी अंगूठा प्रमाणित है। पीड़िता की पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट दिनांक 19-04-2021 को लगभग 01:00 बजे तैयार की गयी, जिसमें पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर वैजाइनल स्मियर में कोई भी शुक्राणु नहीं पाये गये। एक्सरे रिपोर्ट के आधार

पर पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष थी तथा अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के आधार पर कोर्इ भी गर्भ गर्भाशय में नहीं था। इन सभी रिपोर्टों के आधार पर मेरे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर सैक्सुअल असॉल्ट की कोर्इ निश्चित राय नहीं दी जा सकती। परीक्षण रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने लेख व रिपोर्टों पर हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। इस साक्षी ने पीड़िता की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क-5 व पूरक मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क-6 को साबित किया है।

17- पी०डब्लू०-5 धर्मेन्द्र सिंह, एस०आर्इ०/विवेचक ने कहा कि दिनांक 06-04-2021 को मैं थाना दक्षिण की चौकी प्रभारी सुहाग नगर में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। मु०अ०सं०-176/2021, धारा-363, 366 भा०दं०सं० बनाम बाल अपचारी (ए) की विवेचना, प्रभारी निरीक्षक के आदेश से मुझे सुपुर्द की गर्इ थी। मैंने दौरान विवेचना वादी रामेश्वर की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। पीड़िता का डाक्टरी परीक्षण व बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। घटना से सम्बन्धित वादी, पीड़िता एवं अन्य गवाहों के बयान अंकित किये तथा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने व पीड़िता के बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० के आधार पर मामले में धारा-376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में विवेचना सम्बन्धी बयान देते हुए नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-7 व बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध प्रेषित आरोप-पत्र प्रदर्श क-8 को साबित किया है।

18- पी०डब्लू०-6 सुनील राठौर ने कहा कि मेरी पुत्री/ पीड़िता आर, जिसकी घटना के समय उम्र 17 वर्ष थी, घटना दिनांक 03-04-2021 को मेरी पुत्री/पीड़िता आर को बाल अपचारी (ए) बहला फुसला कर सोनीपत ले गया था। वहाँ उसने पीड़िता आर को कहीं किराये पर रखा होगा। वहाँ बाल अपचारी (ए) ने पीड़िता आर के साथ गलत काम किया था। मेरी लड़की ने यह बात मेरी पत्नी को बतार्इ थी आर्ैर मेरी पत्नी ने यह बात मुझे बतार्इ थी। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

19- पी०डब्लू०-7 श्रीमती ऊषा देवी ने कहा है कि घटना दिनांक 03-04-2021 की है। मेरी पुत्री घटना के समय 16-17 वर्ष की थी। मेरी पुत्री/पीड़िता आर को बाल अपचारी (ए) पुत्र हरीश चन्द्र, निवासी परिहार मऊ, थाना नगला खंगर, जिला फिरोजाबाद बहला फुसला कर सोनीपत ले गया था, वहाँ उसको कमरा लेकर रखा था और उसके साथ बलात्कार किया था। यह बात मुझे मेरी पुत्री ने वापस आने पर बताई थी। मैंने यह बात अपने पति को बताई थी। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान लिया था। घटना शाम करीब 06:00 बजे की है।

20- पी०डब्लू०-8 डा० श्याम मोहन गुप्ता ने कहा कि दिनांक 15-04-2021 को मैं सी०एम०आ० कार्यालय, फिरोजाबाद में ए०सी०एम०आ० के पद पर तैनात था। उस दिन पीड़िता आर पुत्री सुनील राठौर का, रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के आधार पर उम्र निर्धारण हेतु मेरे समक्ष आयी थी। पीड़िता की एक्सरे रिपोर्ट मेरे सामने पेश की गयी थी, जिसको रेडियोलॉजिस्ट डा० अनुराग शुक्ला द्वारा तैयार किया गया था। पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। पीड़िता की उम्र निर्धारण प्रमाण-पत्र मेरे हस्तलेख में है, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। इस साक्षी ने पीड़िता का आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्शक-9 को साबित किया है।

21- पी०डब्लू०-9 डा० अनुराग शुक्ला ने कहा कि दिनांक 13-04-2021 को मैं जिला अस्पताल, फिरोजाबाद में अपनी ड्यूटी पर तैनात था। उस दिन थाना दक्षिण से होमगार्ड सावित्री देवी, सी०एम०आ० फिरोजाबाद व महिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद की रैफर स्लिप लेकर पीड़िता आर के साथ आयी थी, जिनका पहचान चिन्ह दाहिने गाल पर आँख के नीचे तथा बांये गले पर नांक के बगल में तिल का निशान था। रैफर स्लिप के अनुसार रानी के एक्सरे करने पर एल्वो आर नी के एक्सरे में एपीफाइसिस जुड़ी पायी गयी तथा रिस्ट एलमक क्रेस्ट व मीडियल एण्ड ऑफ क्लेविकल के एपीफाइसिस जुड़े हुए नहीं थे। इसके साथ ही पीड़िता के अल्ट्रासाउण्ड करने पर पेट में चोट का कोई

सबूत मौजूद नहीं था तथा पीड़िता आर गर्भवती भी नहीं थी। पीड़िता आर की एक्सरे रिपोर्ट एवं अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं। इसके साथ दिनांक 15-04-2021 को सी०एम०आ०े० फिरोजाबाद की अध्यक्षता वाले बोर्ड में मैं सदस्य था, जिसकी रिपोर्ट मेरे लेख में है। जिसमें **बोर्ड के द्वारा पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष निर्धारित** की गयी। आयु निर्धारण प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर में हैं। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। आयु निर्धारण प्रमाण पत्र पर पूर्व में प्रदर्शक-9 डाला जा चुका है। इस साक्षी ने पीड़िता का एक्सरे अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट प्रदर्शक-10 को साबित किया है।

22- अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

23- अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चातबाल अपचारी (ए) का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 27-09-2022 को अंकित किया गया, जिसमें उसने घटना को गलत बताया। गवाहान द्वारा झूठे बयान देना कहा। एंटी टाइम कार्यवाही कर झूठे प्रपत्रों को साबित करना कहा। विवेचक द्वारा गलत विवेचना कर गलत आरोप-पत्र दाखिल करना कहा। बाल अपचारी (ए) द्वारा रंजिशन मुकदमा झूठा चलना बताया गया। बाल अपचारी (ए) ने विशेष कथन में कहा है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।

24- बाल अपचारी (ए) ने सफाई साक्ष्य देना कहा, लेकिन अवसर देने के बाद भी, कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

25- वादी पक्ष की आरे से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **बाबा कुबेरानन्द उर्फ कालू राम बनाम उ०प्र० राज्य, 2022(1) जे०आ०ई०सी० 125 (इलाहाबाद)** एवं माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की विधि व्यवस्था **प्रेम राम बनाम उत्तराखण्ड राज्य, 2022(2) जे०आ०ई०सी० 431 (उत्तराखण्ड)** प्रस्तुत की गयी हैं। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालयों ने अभियुक्त की दोषसिद्धि के विरुद्ध दाखिल फौजदारी अपील में अवर न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि को बहाल रखा है, केवल सजा को कम कर दिया है।

26- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान एवं वादी अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शाहू तथा बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश यादव की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

27- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

28- धारा-363 भारतीय दण्ड संहिता - व्यपहरण के लिए दण्ड - जो कोई व्यक्ति, विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा आरैर जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

29- धारा-366 भारतीय दण्ड संहिता - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना - जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, आरैर जुमाने से भी दण्डनीय होगा; आरैर जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

30- धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता - बलात्संग के लिए दण्ड -

(1) जो कोर्ट, उपधारा (2) में उपबन्धित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

31- धारा-3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – प्रवेशन लैंगिक हमला – जो कोर्ट व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है यदि वह –

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है;

या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

32- धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड –

(1) जो कोर्ट व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुमाने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोर्ट सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी,

किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा आरैर जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित आरैर युक्तियुक्त होगा आरैर उसका संदाय, एेसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों आरैर पुनर्वास की पूर्ति के लिए एेसे पीड़ित को किया जाएगा।

33- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

34- अभियोजन ने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि वादी रामेश्वर ने घटना दिनांक 03-04-2021 को, अपनी नाबालिग नातिन/पीड़िता (आर), उम्र करीब 16 वर्ष को बाल अपचारी (ए) द्वारा वादी एवं उसकी पत्नी की अनुपस्थिति में पीड़िता(आर) को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से, घर से बहला फुसला कर, विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश करने के आशय से ले गया। पीड़िता (आर) के साथ बलात्संग किया तथा उस पर गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला किया गया।

35- बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि बाल अपचारी (ए) ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। घटना फर्जी है। पीड़िता को बाल अपचारी (ए) द्वारा ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा, फिर किस प्रकार उसके विरुद्ध थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। केवल अनुश्रुत साक्षी परीक्षित कराए हैं, इसलिए अपराध साबित नहीं होते हैं? प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन बाद सोच समझ कर दर्ज करायी गयी है। तहरीर लेखक को परीक्षित नहीं कराया। पीड़िता ने अपने बयान धारा-161 दं०प्रं०सं० में अपनी उम्र 17 वर्ष बताई है आरैर कक्षा-8 में पढ़ना कहा है एवं बयान धारा-164 दं०प्रं०सं० में अपनी उम्र नहीं बताई है आरैर बाल अपचारी (ए) अपने साथ घुमाने की कहकर पीड़िता की सहमति से उसे सोनीपत ले गया आरैर वहाँ एक रूम में रखा। इसलिए पीड़िता व गवाहों के कथनों में

विरोधाभास है। डाक्टर ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने की विशिष्ट राय नहीं दी जा सकती है। पूर्व विवाद होने पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियोजन प्रकरण साबित करने में असफल रहे हैं। बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध कोई आरोप साबित नहीं है। अतः उसे बइजत रिहा करने की कृपा करें।

36- वादी ने पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता आर की उम्र अंकित नहीं की है। पीड़िता ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 17 वर्ष बताई है, परन्तु बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र नहीं बताई है। वादी ने न्यायालय में दिये अपने बयान में पीड़िता की उम्र 15 से 16 वर्ष आर पीड़िता आर ने अपनी उम्र 17 वर्ष, पीड़िता के पिता सुनील राठौर ने पीड़िता की उम्र 17 वर्ष आर पीड़िता की माँ ऊषा देवी ने घटना के समय उम्र 16-17 वर्ष होना कहा है। विवेचक द्वारा पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में शैक्षिक अभिलेख या आयु सम्बन्धित कोई दस्तावेज दाखिल न करने पर मेडीकल बोर्ड से पीड़िता की आयु सी०एम०आ० द्वारा 16 वर्ष के लगभग निर्धारित की गयी है। परन्तु बाल अपचारी (ए) ने भी पीड़िता की आयु के खण्डन में कोई साक्ष्य बचाव में दाखिल नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पीड़िता घटना दिनांक 03-04-2021 को पूर्णतः बालिग थी।

37- प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पा०क्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पा०क्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान

करता है।

38- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में

उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि एेसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

39- धारा-30 पोक्सो एक्ट 2012 - आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा -

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त के पक्ष पर आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय एेसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी एेसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

40- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं। पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

41- **जरनैल सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा (2013) 7**

एस०सी०सी० 263 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किशोर अपराधी तथा अपराध की पीड़िता दोनो की आयु का निर्धारण नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आँर संरक्षण) नियमावली 2007 के आधार पर किया जायेगा।

42- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आँर संरक्षण) अधिनियम 2015 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आँर संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है आँर वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आँर संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू है जिसके अन्तर्गत **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आँर संरक्षण) आदर्श नियम 2016** बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आँर संरक्षण) अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

43- **आयु के निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आँर संरक्षण) अधिनियम 2015** में व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, आँर उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) आँर (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोर्इ अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

44- अभियोजन कथानक के समर्थन में तथ्य के चार साक्षी पीड़िता के बाबा (वादी), (पीड़िता) नाबालिग नातिन, पीड़िता के माता एवं पिता को परीक्षित कराया है। पी०डब्लू०-3 कां० रनवीर सिंह, पी०डब्लू०-4 डा० रुचि यादव, पी०डब्लू०-5 उप निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह (विवेचक), पी०डब्लू०-8 डा०

श्याम मोहन गुप्ता एवं पी०डब्लू०-9 डा० अनुराग शुक्ला, आैपचारिक साक्षीगण को परीक्षित कराया है, जिन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, जी०डी० मुकदमा कायमी, नक्शा नजरी, आरोप-पत्र व चिकित्सीय प्रपत्रों को केस डायरी में किता किये गये पर्चों को कार्य सरकार अन्जाम देते हुए अपनी साक्ष्य से न्यायालय में प्रमाणित किया है। इन साक्षियों को तथ्य के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

45- पी०डब्लू०-1 वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़िता की आयु के सन्दर्भ में कोई कथन नहीं किया है लेकिन न्यायालय में सशपथ बयान में पीड़िता की आयु 15-16 वर्ष होना कहा है। जिरह में पीड़िता की जन्मतिथि मालूम होना नहीं कहा है। पीड़िता को कक्षा 5-6 तक पढ़ा होना कहा है, परन्तु शैक्षिक प्रपत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किए हैं। पी०डब्लू०-2 पीड़िता (आर) ने न्यायालय में अपनी उम्र 17 वर्ष आैर जिरह में कहा कि मैं कक्षा-8 तक पढ़ी लिखी हूं। रामजी मुडघरे हिन्दी उच्च प्राथमिक शाला, नागपुर में कक्षा 8 तक पढ़ी हूं। कक्षा-1 से 3 तक जनता आदर्श स्कूल, हिमायुंपुर, फिरोजाबाद में पढ़ी हूं। उस स्कूल को कमलेश का स्कूल भी कहते हैं। कक्षा-3 तक मैं इसी स्कूल में पढ़ी हूं। स्कूल में मेरी जन्मतिथि 06-06-2004 लिखी हुई है। स्कूल की मार्कशीट मेरे पास नहीं है, वह मार्कशीट नागपुर में रखी है। मार्कशीट की फोटो प्रति मैंने दरोगाजी को दी थी या नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे अपने किसी भाई, बहन की जन्मतिथि याद नहीं है।

46- पी०डब्लू०-4 डा० रुचि यादव ने पीड़िता की उम्र लगभग 16 वर्ष एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर लिखी है। चिकित्सीय प्रपत्रों में पीड़िता की उम्र 16 वर्ष अंकित है आैर प्रारूप-बी में पीड़िता के कथनानुसार उम्र 17 वर्ष अंकित की गयी है। पी०डब्लू०-5 विवेचक धर्मेन्द्र सिंह ने पेज-2 के मध्य में कहा कि पीड़िता आर की उसके पिता द्वारा टी०सी० की छाया प्रति कक्षा-7 की प्रदान की गई, जिसमें जन्मतिथि 06-06-2004 अंकित है। जिरह में विवेचक ने पृष्ठ-5 में कहा कि मुझे पीड़िता के पिता सुनील द्वारा पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में टी०सी० की छाया प्रति दिखाई गई थी, उसकी मूल प्रति मैंने देखी थी, परन्तु मैंने उस अभिलेख को स्कूल से सत्यापित नहीं कराया था।

47- पी०डब्लू०-6 पीड़िता के पिता सुनील ने घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष आरैर पीड़िता की जन्मतिथि याद नहीं होना कहा है। पीड़िता किस तारीख को बालिग हुंई, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने पीड़िता का नगर पालिका, फिरोजाबाद से कोर्ई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था। महाराष्ट्र नागपुर में पीड़िता आर का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। स्कूल में पीड़िता आर की जन्मतिथि स्कूल वालों ने खुद लिखी थी। फिर कहा मैंने लिखांई थी। मैंने कितनी जन्मतिथि लिखांई थी, मुझे याद नहीं है। मैंने नागपुर से कोर्ई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया था। पीड़िता आर, जनता आदर्श स्कूल, हिमायुंपुर में कितनी कक्षा से कितनी कक्षा तक पढ़ी है, मुझे याद नहीं है। जनता आदर्श स्कूल का कोर्ई प्रमाण पत्र आज मैं साथ लेकर नहीं आया हूं, आरैर ना ही दरोगाजी को दिया है। मैंने दरोगा जी को कोर्ई प्रमाण पत्र नहीं दिया।

48- पी०डब्लू०-7 ऊषा देवी, पीड़िता की माँ ने घटना के समय पीड़िता की उम्र 16-17 वर्ष होना कहा आरैर जिरह में कहा कि मुझे अपने किसी बच्ची या बच्चे की जन्मतिथि नहीं मालूम। पीड़िता पहले रामपाल मास्टर के स्कूल हिमायुंपुर में पढ़ने जाती थी, तब वह 5 साल की थी, फिर उसे हम नागपुर लेकर चले गये। पीड़िता का एडमीशन खदान स्कूल, नागपुर में कराया था, किस वर्ष कराया, नहीं मालूम। खदान स्कूल, हंसापुरी, नागपुर में है, वहाँ पीड़िता कक्षा-8 तक पढ़ी थी। उसने कक्षा-8 किस वर्ष में की, मुझे नहीं मालूम। एडमीशन कराने मेरे पति गये थे। पीड़िता की जन्मतिथि मेरे सास, ससुर को मालूम है।

49- पी०डब्लू०-8 डा० श्याम मोहन गुप्ता ने पीड़िता की उम्र निर्धारण की बावत एक्सरे किया था आरैर उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष निर्धारित की थी। जिरह में कहा कि मेरे द्वारा पीड़िता की उम्र लिखे जाने से पूर्व एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन किया गया था, जिसमें 'एल्बो' फ्यूज्ड थी आरैर 'नी' भी फ्यूज थी। किसी व्यक्ति की 'नी' 16-17 वर्ष में फ्यूज्ड होती है। पीड़िता की उम्र 17 वर्ष भी हो सकती है। मैंने एक्सरे नहीं किया आरैर ना रिपोर्ट तैयार की है। मैं एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर आयु निर्धारण करता हूं। मेरे द्वारा आयु निर्धारण प्रमाण पत्र

पर प्यूबिक हेयर आर एंजिलरी हेयर तथा ब्रेस्ट के कॉलम को नहीं भरा गया, क्योंकि बोर्ड में महिला डाक्टर नहीं थी। दोनों प्रकार के बाल व ब्रेस्ट भी आयु निर्धारण में सहयोग करते हैं।

50- पी०डब्लू०-9 डा० अनुराग शुक्ला ने पीड़िता का एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड एवं पूरक रिपोर्ट तैयार की। सी०एम०आ०, फिरोजाबाद की अध्यक्षता वाले बोर्ड में पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष निर्धारित की गयी। आख्यानानुसार पीड़िता के एल्बो व नी जोड़ जुड़े हुए थे। एक्सरे के अनुसार पीड़िता की आयु 16-17 वर्ष के बीच में हो सकती है। मेडीकल द्वारा जो उम्र निर्धारित की जाती है उसमें दो वर्ष का अन्तर हो सकता है। उम्र प्रमाण पत्र पर प्यूबिक हेयर, एंजिलरी हेयर आर ब्रेस्ट के बारे में बोर्ड ने कुछ अंकित नहीं किया है। 13-14 वर्ष तक प्यूबिक हेयर, एंजिलरी हेयर आर ब्रेस्ट का विकास हो जाता है, इसलिए बोर्ड ने उसकी आवश्यकता नहीं समझी आर बोर्ड ने पीड़िता की आयु 16 वर्ष लगभग निर्धारित की थी। इस साक्षी ने बाल अपचारी (ए) के इस सुझाव को गलत बताया है कि पीड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक हो आर उसने वादी से मिलकर पीड़िता की उम्र कम निर्धारित की हो।

51- अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता आर के विद्यालय का प्रमाणपत्र दाखिल नहीं किया गया है। अभियोजन ने पीड़िता आर का निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र भी दाखिल नहीं किया है। पीड़िता की शैक्षिक प्रलेख दाखिल न करने आर पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा सम्यक् जाँच न करने के कारण मेडीकल बोर्ड की आख्या प्रदर्शक-9 द्वारा पीड़िता की आयु 16 वर्ष निर्धारित होने पर, पीड़िता आर की उम्र 16 वर्ष मानी जाएगी। इसके खण्डन में बाल अपचारी (ए) द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली में दाखिल नहीं की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पीड़िता आर घटना दिनांक 03-04-2021 को नाबालिग थी।

52- बरामदगी के सम्बन्ध में पीड़िता आर ने जिरह में कहा कि मैंने बाल अपचारी (ए) से कहा कि मुझे मम्मी, पापा के पास नागपुर ले चलो। मुझे यह नहीं पता कि वह कहा ले जा रहा है। वह अपने आप मुझे फिरोजाबाद लेकर आ गया

था। बस स्टेण्ड फिरोजाबाद से मैं अपने घर नहीं गयी थी, क्योंकि बस स्टेण्ड पर पुलिस आ गयी थी आरैर मुझे पकड़ लिया गया था आरैर बाल अपचारी (ए) वहाँ से भाग गया था। पी०डब्लू० 5 विवेचक ने पीड़िता की बरामदगी के सम्बन्ध में केस डायरी के पर्चा-2, दिनांकि 12-04-2021 किता किया, जिसमें पीड़िता की बरामदगी मुखबिर की सूचना पर की गई थी आरैर केस डायरी के पर्चा संख्या-6, दिनांकित 18-04-2021 में बाल अपचारी (ए) को गिरफ्तार किए जाने का विवरण अंकित है। जिरह के पृष्ठ-6 की दूसरी पंक्ति में कहा कि पीड़िता को बरामद करने के पश्चात पीड़िता द्वारा पहने कपडे कब्जे में नहीं लिए आरैर ना ही मैंने उन कपडों को फोरेन्सिस जाँच के लिए भेजा। पी०डब्लू०-6 सुनील ने जिरह के पृष्ठ-4 की अन्तिम पंक्तियों में कहा कि मेरी बेटी को पुलिस सोनीपत से लेकर आयी थी। मैं पुलिस के साथ सोनीपत नहीं गया था। पी०डब्लू०-7 ऊषा देवी ने जिरह में कहा कि जब मेरी बेटी पुलिस ने पकड़ी थी, तब मैं वहाँ आ गई थी। मेरी बेटी पुलिस ने बस स्टेण्ड में पकड़ी थी। मैं पुलिस के साथ सोनीपत नहीं गई थी। पुलिस जब सोनीपत से मेरी बेटी को लेकर आई थी, तब मैं उससे बस अड्डे पर मिली थी। उस समय बाल अपचारी (ए) भी मौके पर था। मैं बस अड्डे से बेटी को अपने घर नहीं ले गयी थी। वह पुलिस के साथ थाने चली गई थी आरैर मैं अपने घर आ गई। वादी एवं साक्षीगण ने पीड़िता आर की बरामदगी बस स्टेण्ड पर होना न्यायालय में साक्ष्य से साबित किया है, जिसके खण्डन में बाल अपचारी (ए) ने कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है।

53- वादी रामेश्वर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा कि मेरी नातिन आर को बाल अपचारी (ए), मेरी व मेरी पत्नी की गैर मौजूदगी में घर से बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है आरैर अब नातिन के फोन नम्बर भी बन्द जा रहे हैं। वादी ने मुख्य परीक्षा से प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया आरैर जिरह के पृष्ठ सं०-4 में कहा कि मेरी नातिन आर घर से किस तारीख को गई, तारीख मुझे याद नहीं है। रिपोर्ट कराने थाने पर किस तारीख को गया, ध्यान नहीं है। जिस दिन मेरी नातिन घर से गई थी उस दिन मैं बाजार गया था। नातिन मेरे

घर से मेरे सामने नहीं गई। नातिन जब घर से चली गई तो उसके एक घण्टे बाद मैं घर वापस आया था। जब मेरी नातिन घर से गई उस समय मेरी पत्नी भी घर पर मौजूद नहीं थी। मैं आर पत्नी साथ-साथ बाजार गये आर वापस आये थे। जब हम बाजार गये थे, तब घर पर मेरी नातिन आर आर मेरी बेटी पायल घर पर मौजूद थी। वापस आये तो पायल घर पर मिली थी। पायल के पास फोन नहीं है। मुझे मेरी बेटी पायल ने बताया कि बाल अपचारी (ए) पीड़िता आर को लिवा ले गया है। मैंने पायल द्वारा यह बताने की बात प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिखाई है। यह बात दरोगा जी को भी नहीं बताई थी।

54- पी०डब्लू०-2 पीड़िता आर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि बाल अपचारी (ए) मुझे बहला फुसला कर ले गया था आर जिरह में कहा कि मैं घर से 3 तारीख को गयी थी, महीना चौथा आर वर्ष 2021 था। जिस दिन मैं घर से गयी थी, उस दिन घर पर कोई नहीं था। मेरे माँ, बाप नागपुर गये थे आर दादी, बाबा बाजार गये थे। छोटी बुआ सिलाई सीखने गयी थी। मैं बस स्टेण्ड अकेली गयी थी। बस स्टेण्ड पर बाल अपचारी (ए) मिला था। मैं बाल अपचारी (ए) के साथ बस में बैठकर गयी थी। बाल अपचारी (ए) ने कहा कि घूमने चल रहे हैं, इसलिए मैं चली गई थी। मैं बाल अपचारी (ए) के साथ अपनी मर्जी से बस में बैठकर गयी थी। पीड़िता घटना के समय नाबालिग थी। अतः उसकी सहमति का कोई अर्थ नहीं है। घूमने वाली बात बाल अपचारी (ए) ने मुझे बस अड्डे पर बताई थी। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं गयी थी। मैं बाल अपचारी (ए) के साथ घूमने जा रही हूँ, यह बात मैंने अपने मम्मी, पापा, बाबा, दादी को नहीं बताई थी, क्योंकि उस समय घर पर कोई नहीं था। मैं शाम को इसलिए घूमने गयी थी, क्योंकि बाल अपचारी (ए) शाम को ही आया था। बाल अपचारी (ए) बस से सोनीपत ले गया। सोनीपत में हम लोग कहीं नहीं घूमे। घुमाने के बहाने सोनीपत ले गया था। सोनीपत के किस मौहल्ले में गयी थी, मुझे नहीं मालूम। सोनीपत में मेरे व बाल अपचारी (ए) के भी कोई रिश्तेदार नहीं रहते हैं। सोनीपत में जिस कमरे में रहे, मुझे नहीं मालूम कि किसका घर था। मैं उस कमरे में 8 दिन रही थी। 8 दिन हम लोग कहीं घूमने नहीं गये।

उसने मुझे कमरे में बन्द करके रखा था। उस घर में आँर कोर्इ नहीं रहता था, एक ही कमरा था। बाउण्डी, लैट्रिन बाथरूम बने थे। खाना मैं नहीं बनाती थी, बाल अपचारी (ए) बाहर से लेकर आता था। वह कमरा बाजार से कितनी दूर था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं कभी बाजार नहीं गयी। मैंने अडोस पडोस के लोगों को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मुझे बाल अपचारी (ए) डरा कर गया था। वह आठो दिन खाना बाहर से लेकर आया था। जब खाना लेने जाता था तो एक घण्टे बाद वापस आता था। उस दौरान मैंने फोन करके यह नहीं बताया कि बाल अपचारी (ए) मुझे यहाँ जबरदस्ती रखे हुए है, क्योंकि फोन बन्द था आँर उसमें पैसे नहीं थे आँर फोन बाल अपचारी (ए) के पास था। मैंने अडोस पडोस में जाकर अपने घर फोन नहीं किया, क्योंकि बाल अपचारी (ए) मुझे डराता, धमकाता था। सोनीपत से मुझे बाल अपचारी (ए) बस द्वारा वापस लेकर आया था। वह मुझे कहीं आँर ले जा रहा था। मुझे नहीं पता कहाँ ले जा रहा था। सोनीपत में कमरे से बस स्टेण्ड पर ले गया। कौन से बस स्टेण्ड पर ले गया, मुझे नहीं मालूम। मैंने मम्मी, पापा के पास नागपुर ले जाने के लिया कहा था आँर वह मुझे फिरोजाबाद लेकर आ गया था। मुझे पहले से नहीं पता था कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। जब बाल अपचारी (ए) बस स्टेण्ड पर आ गया था, तब उसने बताया था कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। मैंने उससे बाहर घूमने जाने के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि बाल अपचारी (ए) मुझे बहला फुसला कर ले गया था। उसने केवल यह कहा था कि घूमने फिरने चल रहे हैं, फिर वापस आ जाँगे। बाल अपचारी (ए) मेरे मामा का लडका है, इसलिए मैं बाल अपचारी (ए) के साथ भरोसे में चली गयी। बाल अपचारी (ए) सगे मामा का लडका नहीं है। चाचा, ताऊ में परिवार के कारण मामा का लडका लगता है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इन्कार किया कि बाल अपचारी (ए) मुझे बहला फुसला कर ना ले गया हो आँर ना ही मुझे उसने सोनीपत कमरे में रखा हो, आँर ना ही उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया हो आँर मैं घर वालों के कहने पर बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध झूठी गवाही दे रहीं हूँ।

55- पीड़िता आर ने चिकित्सीय परीक्षण के दौरान महिला डाक्टर को

दिए बयान में कहा है कि दिनांक 03-04-2021 को बाल अपचारी (ए) नामक लड़का, उम्र लगभग 19 वर्ष के साथ घर वालों को बिना बताए सोनीपत चली गयी। वहाँ 6-7 दिन तक साथ रही। घर वालों द्वारा एफ०आर्०इ०आर० दिनांक 06-04-2021 कराने के बाद कल 11-04-2021 को पुलिस द्वारा लाई गई।

56- पी०डब्लू०-6 सुनील पीड़िता (आर) के पिता एवं पी० डब्लू०-7 ऊषा पीड़िता की माँ ने मुख्य परीक्षा में अपनी पुत्री को बाल अपचारी (ए) द्वारा बहला फुसला कर सोनीपत ले जाने की बात बताई है, परन्तु बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बाल अपचारी (ए) द्वारा पीड़िता आर को बहला फुसला कर सोनीपत ले जाने की बावत कोई प्रश्न जिरह में नहीं पूछा है। ऐसी स्थिति में साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षा में जो कथन किया गया है, वह अखण्डनीय माना जाएगा और साक्ष्य में ग्राह्य होगा।

57- उपरोक्त से स्पष्ट है कि बाल अपचारी (ए) पीड़िता आर के मामा का लड़का होने के कारण पीड़िता के घर में रहा और वैश्वसिक सम्बन्ध में अधिभावी स्थिति में था। इसका समर्थन पीड़िता आर ने अपने जिरह के पृष्ठ-9 की अन्तिम पाँचवी पंक्ति में कहा कि जब बाल अपचारी (ए) बस स्टैण्ड आ गया था, तब उसने बताया था कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। मैंने उससे बाहर घूमने जाने के लिए मना नहीं किया था, क्योंकि बाल अपचारी (ए) मुझे बहला फुसला कर ले गया था। उसने केवल यह कहा था कि घूमने फिरने चल रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे। बाल अपचारी (ए) मेरे मामा का लड़का है, इसलिए मैं बाल अपचारी (ए) के साथ भरोसे में चली गई थी। ऐसी स्थिति में पीड़िता द्वारा बाल अपचारी (ए) की बातों पर विश्वास करना असामान्य नहीं था और उसकी बात पर विश्वास करके वह उसके साथ बस द्वारा सोनीपत चली गई। पीड़िता आर ने अपने बयान में यह भी कहा कि बाल अपचारी (ए) ने उसे सोनीपत ले जाकर कमरे में बन्द कर दिया और कहीं भी घुमाया फिराया नहीं। आठ दिन तक कमरे में रखा और खाना बाजार से लेकर आता था, लेकिन उसे बाजार लेकर नहीं गया। पीड़िता आर को बहला फुसला कर ले जाते समय उसने

किसी से बस में, रास्ते में या उस घर के आस-पास के लोगों को, जहाँ वह रह रही थी, कोई बात नहीं बताई, क्योंकि बाल अपचारी (ए) ने उसको जान से मारने की धमकी दे रखी थी। बाल अपचारी (ए) का हेतुक पीड़िता आर के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना था, ना कि उसे सोनीपत ले जाकर घुमाना फिराना था। अभियोजन के साक्षीगण ने पीड़िता आर को बाल अपचारी (ए) द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के कथन को साक्ष्य से साबित किया है। जिसके खण्डन में बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं की गई है। अतः बाल अपचारी (ए) अन्तर्गत धारा-363 भा०दं०सं० के अपराध में दोष सिद्ध किए जाने योग्य है।

58- पीड़िता आर के साथ, अयुक्त संभोग करने के लिए, उस स्त्री को विवश करना या विलुब्ध करना आर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई कथन नहीं किया है, परन्तु पीड़िता आर ने घर वापस आकर उसके साथ बलात्कार करने की बात अपनी माँ को बताई थी। उसकी माँ ने अपने पति को बताई और पति ने न्यायालय में बताई, जिसका समर्थन पीड़िता आर ने अपनी साक्ष्य से करते हुए कहा कि बाल अपचारी (ए) मुझे बस में बैठा कर सोनीपत ले गया और वहाँ एक कमरा, जो उसने पहले से ले रखा था, उसमें ले जाकर रखा। उसने मेरे साथ कमरे में जबरदस्ती की। बाल अपचारी (ए) ने मेरे नीचे के कपड़े उतार कर मेरे साथ गन्दा काम किया था। गन्दे काम का मतलब मैं जानती हूँ। उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। साक्षी ने जिरह में कहा कि बाल अपचारी (ए) बस स्टेण्ड पर मिला था और उसने कहा कि घूमने चल रहे हैं। मैं कपड़े लेकर भी नहीं आई थी। जिरह के पृष्ठ-6 पर पीड़िता आर ने कहा कि उसने मुझे कमरे में बन्द करके रखा था और मेरे साथ जबरदस्ती की थी। पीड़िता आर ने सुझाव से इन्कार करते हुए कहा कि बाल अपचारी (ए) मुझे बहला फुसला कर ना ले गया हो और ना ही सोनीपत कमरे में रखा हो और ना ही उसने मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया हो।

59- पी०डब्लू०-4 डा० रुचि यादव ने पीड़िता आर का चिकित्सीय

परीक्षण दिनांक 12-04-2021 को किया था। अन्दरूनी जाँच में काँख व गुप्तांग के बाल उपस्थित पाये तथा स्तन विकसित थे। बाह्य परीक्षण में शरीर के किसी हिस्से पर कोई चोट या नीलगू निशान नहीं था। पीड़िता मेडीकल के समय, जो घटना के समय कपड़े पहने हुए थी, वह बदल कर आई थी। नहा धो कर आई थी। गुप्तांग की जाँच करने पर पाया गया कि हायमन झिल्ली पुरानी फटी हुई थी। वैजाइनल पेरीनियल एरिया में किसी प्रकार की चोट का निशान, सूजन, लालिमा आँर कोई रक्तश्राव नहीं हो रहा था। वैजाइनल स्मीयर की स्लाइड रिपोर्ट में कोई शुक्राणु नहीं पाया गया। अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के अनुसार गर्भाशय में कोई गर्भ नहीं था। आयु निर्धारण के लिए सी०एम०आ० कार्यालय फिरोजाबाद भेजा गया। एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर पीड़िता आर की उम्र 16 वर्ष थी। इन सभी रिपोर्टों आँर मेरे द्वारा किए गये परीक्षण के आधार पर पीड़िता आर के साथ सैक्सुअल असाल्ट की कोई निश्चित राय मेरे द्वारा नहीं दी जा सकती है। साक्षी ने जिरह में कहा कि मैंने पीड़िता के कपड़ों को जाँच हेतु कब्जे में नहीं लिया था, क्योंकि पीड़िता द्वारा अपने कपड़े बदल लिए थे। वैसे भी पीड़िता के कपड़े कब्जे में लेने का दायित्व विवेचक का होता है। डाक्टर द्वारा विवेचक को उक्त कपड़े कब्जे में लेने की मात्र सलाह दी जा सकती है। पीड़िता आर के आन्तरिक परीक्षण में आन्तरिक एवं बाह्य चोट का निशान नहीं था। पीड़िता आर की आन्तरिक झिल्ली पुरानी फटी हुई थी, उससे यह आशय नहीं है कि उसके साथ सैक्सुअल असाल्ट हुआ हो, बल्कि यह झिल्ली खेलने कूदने या साइकिल चलाने से फट सकती है। लेकिन कुछ फीमेल में होती ही नहीं है। स्लाइड में कोई स्पर्म नहीं पाया गया आँर पीड़िता आर गर्भवती नहीं थी। अगर पीड़िता को 3-4 दिन पहले रक्तश्राव हुआ हो तो थोड़ी बहुत सूजन रहती है। यदि किसी फीमेल के साथ पहली बार सैक्सुअल असाल्ट होगा तो उसकी वैजाइना पर टेन्डरनेश (सूजन+ पेन+ लालिमा) तथा इंजरी होगी। पीड़िता आर का चिकित्सीय परीक्षण, घटना दिनांक 03-04-2021 के 9 दिन बाद, दिनांक 12-04-2021 को किया गया है। ए०सी स्थिति में 9 दिन बाद डाक्टर रूचि द्वारा बताए गये लक्षण मिलना दुस्कर है।

60- पी०डब्लू०-5 विवेचक धर्मेन्द्र ने जिरह के पृष्ठ-6 पर कहा कि पीड़िता को बरामद करने के पश्चात पीड़िता द्वारा पहने कपड़े मैंने अपने कब्जे में लिए आरैर ना ही मैंने उन कपड़ों को फॉरेंसिक जाँच हेतु भेजा। पीड़िता आर के माता पिता से बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बलात्कार के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है।

61- पी०डब्लू०-8 डा० श्याम मोहन गुप्ता ने आयु निर्धारण की बावत अपना बयान न्यायालय में दिया है। उन्होंने बलात्कार के सम्बन्ध में कोई जाँच नहीं की है। पी०डब्लू०-9 डा० अनुराग शुक्ता ने पीड़िता आर की एकसरे रिपोर्ट देखा आरैर अल्ट्रासाउण्ड के आधार पर बताया कि पीड़िता के पेट में चोट का कोई सबूत नहीं था आरैर वह गर्भवती भी नहीं थी। उक्त रिपोर्ट साक्षी ने अपने हस्तलेख में तैयार की हैं। जिरह में कहा कि अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट के आधार पर मैं यह नहीं बता सकता कि पीड़िता आर के साथ कोई सैक्सुअल असाल्ट हुआ या नहीं।

62- **जुल्फिकार उर्फ जिल्लू बनाम उ० प्र० राज्य, 2020 (112) ए०सी०सी० 938 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)** – माननीय उच्च न्यायालय ने धारा-376(2)(जी) आरैर 506 भा०दं०सं० – दोषसिद्धि – स्थिरता – प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथन है कि अभियुक्त लगातार एक माह से अभियोत्री के ऊपर लैंगिक हमला कर रहा है आरैर धमकी दे रहा है कि वह गाँव वालों के मध्य पीड़िता की फोटो वितरित कर देगा – अस्थि जाँच में पीड़िता की आयु 17 वर्ष – अभियोत्री ने न्यायालय के समक्ष अपने पूर्व कथन को दोहराया – अभियोत्री के साथ किये गये अपराध में चिकित्सक द्वारा दो वर्ष की उम्र का जोड़ना सम्भव नहीं है। व्यक्ति की उम्र पता करने के लिए अस्थि जाँच स्वीकृत तरीका है। पीड़िता जो 18 वर्ष से कम है उसकी सहमति का कोई प्रश्न नहीं उठता। अभियुक्त ने सहमति का बचाव लिया। यह तथ्य का भार अभियुक्त पर है कि वह पर्याप्त साक्ष्य से साबित करे कि अभियोत्री ने सहमति दी थी। **अभियोत्री की विश्वसनीय साक्ष्य अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधार हो सकती है, जबकि वह अन्य साक्ष्य से समर्थित हो।** अभियोत्री ने स्पष्ट बयान दिया कि अभियुक्त ने अपना लिंग

उसकी यौनि में उसकी इच्छा के बिना जबरदस्ती घुसेड़ दिया। उसके शरीर पर आयी चोटें उसके कथन को समर्थित करती हैं कि उसने कभी भी सहमति नहीं दी थी। शुक्राणु की अनुपस्थिति, अभियोजन केस के लिए घातक नहीं है, जबकि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण घटना के 42 दिन बाद कराया गया हो। पीड़िता के साथ लगातार एक माह बलात्कार किया गया। डाक्टर की राय हाइमन पुरानी फटी हुई थी आरैर यौनि में दो उंगलियां आराम से जा रही थीं, यह तथ्य अभियोजन कथानक के विरुद्ध नहीं लिया जायेगा। अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा बलपूर्वक लैंगिक हमला पीड़िता के साथ किया जाना स्थापित – दोषसिद्धि आरैर सजा सम्पुष्ट – अपील खण्डित।

63- **बचू उर्फ हीरा लाल बनाम उ० प्र० राज्य, 2020 (1)**

जे०आर्इ०सी० 162 (इला०) – माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने धारा-376 व 506 भा०दं०सं० आरैर धारा-4 पोक्सो अधिनियम में 15 वर्ष की नाबालिग के साथ बलात्कार – अपराध के होने की उपधारणा की जायेगी – अपीलार्थी उपधारणा को खण्डित करने में असफल – चोटें आरैर शुक्राणु की उपस्थिति प्रवेशिक लैंगिक हमले के अपराध के लिए पूर्व शर्त नहीं है। अभियोत्री आरैर अन्य साक्षियों ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध संदेह से परे पूर्णतः साबित किया है। दोषसिद्धि उचित एवं युक्तियुक्त – अपील खण्डित।

64- घटना की एक मात्र साक्षी पीड़िता आर ने बाल अपचारी (ए) द्वारा किये गये लैंगिक हमले/बलात्कार/अयुक्त संभोग को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। वादी से बाल अपचारी (ए) ने पीड़िता के साथ अयुक्त संभोग करने के लिए उसे विवश करने या उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी कथन जिरह में नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपराध गठित होने की उपधारणा की जाएगी। धारा-375 भा०दं०सं० की छटवीं परिस्थिति के अनुसार उस स्त्री की सहमति से या बिना सहमति के, जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है तो वह बलात्संग करता है, यह कहा जाता है।

65- **मिथुन ठाकुर बनाम उड़ीसा राज्य, 2017 क्रिमिनल लॉ जर्नल**

(NOC) 661 (ORI) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि – Rape – Accused allegedly committing rape of minor victim – Father and grandfather of prosecutrix also supporting version of prosecutrix– Prosecutrix or her parents not having any prior enmity with accused, for false implication – Absence of injury, not definitive evidence to proper offence – Attempt of penetration also sufficient to attract offence of rape. Accused committing rape. Conviction proper. किसी भी पीड़िता का पिता या पीड़िता स्वयं अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज नहीं करायेगी।

66– इस सम्बन्ध में *दीपक बनाम हरियाणा राज्य, 2015 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2049 (सुप्रीम कोर्ट)* एवं *हरिहर पधान बनाम उड़ीसा राज्य, 2017 क्रिमिनल लॉ जर्नल 140 (उड़ीसा उच्च न्यायालय)*, ने कहा कि – Solitary evidence of prosecutrix – In offence of rape – Can be made basis for conviction without any corroboration, when her evidence is found to be free from basic infirmity and is creditworthy. ill-feeling between accused and relatives of prosecutrix cannot be acceptable reason for false implication of accused– Since no one would put future of prosecutrix at grave risk and would invite stigma for her entire life by making false statement.

67– *आ० एम० बेबी (मृतक) द्वारा एल० आर० एस० बनाम केरला राज्य, 2013 (81) ए०सी०सी० 377 (सुप्रीम कोर्ट)* में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि – Section 376 IPC – External injuries suffered by victim established – Absence of injuries and mark of violence on person of the victim–Not decisive particularly when prosecutrix did not offer resistance due to threat to or fear of life. Evidence of prosecutrix– Appreciation of–Court must keep in mind that in the

context of values prevailing in the country particularly in rural India—Unusual for woman to come up with false story of being a victim of rape so as to implicate innocent person.

68— *रफीक बनाम स्टेट आफ यू०पी० (1990) 4 SCC 262* में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि पीड़िता के साक्ष्य का सत्यापन विधि का नियम नहीं है।

69— *अवतार सिंह बनाम स्टेट आफ हरियाणा AIR 2013 SC 286* में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि एक भी साक्षी द्वारा घटना को साबित कर दिया जाता है आर उस साक्षी की सूचिता खण्डित नहीं होती है, तो उस एक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

70— *विजय उर्फ चीनी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश (2010) 8 एस०सी०सी० 191* विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता/अभियोक्त्री की एक मात्र साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जा सकता है। यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय, मुकम्मल, वास्तविक आर शुद्ध है।

71— *राज वीर बनाम उ० प्र० राज्य, 2022 (119) एस०सी०सी० 827 (इलाहाबाद उच्च न्यायालय)* — अभियोक्त्री का बयान यदि विश्वसनीय है तो उसे किसी अन्य साक्ष्य से सम्पुष्ट किये जाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय एक मात्र अभियोक्त्री के बयान के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि कर सकती है। अभियोक्त्री ने घटना को स्पष्टता के साथ न्यायालय के समक्ष रखा आर अभियुक्त की शिनाख्त की। घटना को पीड़िता के पड़ोसी ने भी समर्थित किया है। अभियुक्त पी०डब्लू०-1, 2, 3 की साक्ष्य को ध्वस्त करने में असमर्थ रहा है। चिकित्सक की राय बलात्कार का अपराध होने के सम्बन्ध में है, ना कि अभियोजन का केस ध्वस्त करने के सम्बन्ध में। पीड़िता ने गाँव छोड़ दिया। 10 साल का कठोर करावास न्याय के सिद्धान्त की पूर्ति के लिए पर्याप्त। दोषसिद्धि सम्पुष्ट। जुर्माना आर अतिरिक्त दण्ड, जो परीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया,

बहाल रखा गया। जुर्माना, पीड़िता/अभियोत्री को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया।

72- उपरोक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन साक्षीगण ने, बाल अपचारी (ए) द्वारा पीड़िता आर अवयस्क की सहमति के बिना जबरदस्ती बलात्कार किया जाना साबित किया है। इस प्रकार बाल अपचारी (ए) धारा-366, 376 भा०दं०सं० एवं धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दोष सिद्ध किए जाने योग्य है।

73- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क लिया कि वादी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। उसने घटना को नहीं देखा है। वादी के बयान से स्वतः स्पष्ट है कि उसने घटना को नहीं देखा। उसने केवल पीड़िता के ना मिलने पर मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता की साक्ष्य व अन्य प्रलेखीय (चिकित्सीय) साक्ष्य से मामला पूर्णतः संदेह से परे साबित है, क्योंकि पीड़िता ने घटनाक्रम को समर्थित किया है। वादी के चश्मदीद साक्षी ना होने से अभियुक्त की दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है। तर्क बलहीन है।

74- बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी लिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से सोच समझ कर दर्ज करायी गयी है। घटना दिनांक 03-04-2021 की बताई गई है तथा दिनांक 06-04-2021 को 14:30 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। उपरोक्त परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री अचानक गायब हो जाते हैं तो सबसे पहले वह स्वयं अपने पुत्र या पुत्री को यथाशक्ति जहाँ उसके मिलने की सम्भावना होती है, वहाँ खोजबीन करता है और जब उसे खोजबीन करने पर भी कोई निश्चित सुराग या पुत्र या पुत्री नहीं मिलता है तब वह अन्ततः थक, हारकर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराता है। ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब हुआ है, बल्कि जो विलम्ब कारित हुआ है वह उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों के आधार पर होना स्वाभाविक है। प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय विधि व्यवस्था **दीपक बनाम हरियाणा राज्य, 2015 सी०आर०एल०जे० 2049 (सुप्रीम कोर्ट)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने

विलम्बित प्रथम सूचना रिपोर्ट, बलात्कार मामले के मामले में पीड़िता, जो कि जवान एवं अनपढ़ महिला थी, उसने अपनी माँ को घटना का खुलासा दो सप्ताह बाद किया आर उसकी माँ ने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता ने कहा कि अभियुक्त ने उसके फोटोग्राफ लिए थे आर उसकी बातचीत मोबाइल में रिकॉर्ड की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विलम्ब से घटना को बताने को न्यायोचित माना, क्योंकि अभियुक्त ने उसे धमकी दी थी कि यदि किसी से कुछ कहा तो उसे गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। उपरोक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलम्ब को स्वाभाविक, युक्तियुक्त एवं सही माना। अतः अभियुक्त पक्ष के इस तर्क में भी कोई बल नहीं है।

75- बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क लिया कि पीड़िता आर को बाल अपचारी (ए) द्वारा ले जाते हुए किसी ने नहीं देखा, फिर किस प्रकार इसके विरुद्ध थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वादी ने अपनी साक्ष्य में कहा कि पीड़िता आर जब घर से गयी थी तो उस समय घर पर वह व उसकी पत्नी नहीं थे, बाजार गए थे, परन्तु उनकी छोटी पुत्री पायल घर पर मौजूद थी आर उसने बाल अपचारी (ए) द्वारा पीड़िता आर को लिवा ले जाना कहा है। पीड़िता आर ने अपने बयान में स्वयं कहा कि वह बाल अपचारी (ए) के निर्देश पर घर से अकेले बस स्टेण्ड पहुंच गयी थी आर वहाँ बाल अपचारी (ए) मिला, फिर दोनों बस में साथ बैठकर सोनीपत चले गये, जहाँ कमरे में रख कर उसने पीड़िता के साथ बलात्कार/लैंगिक हमला कारित किया। अतः बाल अपचारी (ए) का यह तर्क बलहीन है।

76- बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क लिया कि अभियोजन ने तहरीर लेखक को परीक्षित नहीं कराया है। इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **अनिल कुमार बनाम उ०प्र० राज्य, 2003(1) जे०आ०ई०सी० 732** माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि तहरीर लेखक घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं होता है, इसलिए तहरीर लेखक को परीक्षित न कराने से अभियोजन केस संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है। अतः बाल अपचारी (ए) यह तर्क भी बलहीन है।

77- बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क लिया कि उभयपक्षों के मध्य प्लॉट पर कब्जे की बावत पूर्व से आपसी रंजिश चली आ रही थी, जिस कारण पीड़िता आर के माध्यम से बाल अपचारी (ए) को झूठा फंसाया गया है। विवेचक आरैर पीड़िता आर की माँ से बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्लॉट पर कब्जे की बावत प्रश्न पूछे गये हैं। परन्तु यह प्लॉट किसका था, कहाँ स्थित था, उसकी मालियत क्या थी, स्वामित्व किस प्रकार प्राप्त हुआ आरैर स्वामित्व का कोर्इ भी दस्तावेज पत्रावली में दाखिल नहीं किया है, जबकि पी०डब्लू०-7 ऊषा देवी ने अपनी जिरह के पृष्ठ-3 के मध्य में कहा कि मेरी मौसी उस प्लॉट पर अपना कब्जा मानती है, इसलिए वह सूबेदार सिंह का कब्जा प्लॉट पर नहीं होने देती है। मेरा आरैर मेरे घर वालों का उस प्लॉट से कोर्इ मतलब नहीं है। प्रश्नगत प्लॉट की बावत कोर्इ भी दस्तावेज पत्रावली में शामिल न होने के कारण बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता का उक्त तर्क संधार्य नहीं है, जबकि इस तथ्य को साबित करने का भार बचाव पक्ष का था।

78- बाल अपचारी (ए) के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क लिया कि डाक्टर ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता के साथ बलात्कार किए जाने की विशिष्ट राय नहीं दी जा सकती है। चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 03-04-2021 की है आरैर पीड़िता आर का मेडीकल दिनांक 12-04-2021 को घटना के लगभग 9 दिन बाद कराया गया है। डाक्टर रुचि ने यह स्वीकार किया है कि पीड़िता आर की आन्तरिक झिल्ली पुरानी फटी हुई है। पीड़िता आर ने अपने बयान में कहा कि बाल अपचारी (ए) ने कमरे में बन्द करके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। बाल अपचारी (ए) इस तथ्य को साबित करने में असफल रहे हैं कि पीड़िता आर के शरीर पर बाह्य व आन्तरिक चोट न होने के बावजूद उसकी आन्तरिक झिल्ली किस प्रकार फटी? जबकि पीड़िता आर ने बाल अपचारी (ए) द्वारा उसके साथ बलात्कार करना अपनी साक्ष्य से साबित किया है। अतः बाल अपचारी (ए) का यह तर्क बलहीन है।

79- धारा-114 क भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार यदि

किसी स्त्री के साथ उसकी सहमति के बिना बलात्कार किया गया है और वह स्त्री अपनी साक्ष्य के दौरान न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी तो वहाँ न्यायालय यह अवधारित करेगा कि उस स्त्री ने सम्मति नहीं दी थी। प्रस्तुत प्रकरण पोक्सो अधिनियम से सम्बन्धित है। पीड़िता नाबालिग है और विधि की नजर में नाबालिग की सम्मति का कोई अर्थ नहीं है, जबकि प्रस्तुत मामले में बाल अपचारी (ए) ने नाबालिग पीड़िता आर, उम्र 16 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है।

80- पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य व विवेचना के आधार पर मेरा यह निष्कर्ष है कि बाल अपचारी (ए), पीड़िता आर, जो कि 16 वर्ष की अवयस्क है, को विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता से बहला फुसलाकर, अयुक्त सम्भोग करने के लिए, विवश करने के आशय से भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग/लैंगिक हमला कारित किया। बाल अपचारी (ए) द्वारा कारित अपराध समाज के विरुद्ध (Anti social) एवं महिलाओं के विरुद्ध अपराध (Anti woman Crime) है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष बाल अपचारी (ए) के विरुद्ध अपराध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः बाल अपचारी (ए) को धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

81- बाल अपचारी (ए) को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु पेश किया जाये।

दिनांक: 24-11-2022

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश/बाल न्यायालय (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादी के निजी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि बाल अपचारी (ए) ने समाज को कलंकित करने वाला गम्भीर अपराध

किया है, जिससे समाज दूषित होता है। अतः उसको अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने की याचना की गयी। वहीं बाल अपचारी (ए) की आर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि बाल अपचारी (ए) पर रंजिशन झूठे आरोप लगाये गये हैं। वह निर्दोष है। अतः उसको न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी।

धारा-42 पोक्सो एक्ट 2012- आनुकल्पिक दण्ड- जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन आर भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166 क, धारा 354 क, धारा 354 ख, धारा 354 ग, धारा 354 घ, धारा 370, धारा 370 क, धारा 375, धारा 376, धारा 376 क, धारा 376 ख, धारा 376 ग, धारा 376 घ, धारा 376 ड. या धारा 509 के अधीन भी दण्डनीय कोर्इ अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एेसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दण्ड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुत्तर है।

धारा-21 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आर संरक्षण) अधिनियम 2015- आदेश, जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध पारित न किया जा सकेगा - विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन एेसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर मृत्यु या आजीवन कारावास का दण्डादेश नहीं दिया जाएगा।

अतः धारा-42 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत बाल अपचारी (ए) को धारा-376 भा०दं०सं० के स्थान पर धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम व धारा-363, 366 भा०दं०सं० के अपराध में निम्नलिखित दण्ड दिये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है।

आदेश

बाल अपचारी (ए) को धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपया 10,000/- अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा

न करने पर 10 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

बाल अपचारी (ए) को धारा-363 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपया 3,000/- अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

बाल अपचारी (ए) को धारा-366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं रूपया 5,000/- अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

बाल अपचारी (ए) की उपरोक्त सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

बाल अपचारी (ए) द्वारा प्रस्तुत मामले में पूर्व में सम्प्रेक्षण गृह/जिला कारागार में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जायेगी।

धारा-19(3) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आर संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत जब तक बाल अपचारी 21 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक बाल अपचारी को सम्प्रेक्षण गृह में रखा जाए।

धारा-19(3) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आर संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत बाल अपचारी को सुधारात्मक सेवाएं, जिनके अन्तर्गत शैक्षणिक सेवाएं, कौशल विकास, परामर्श देने, आचरण उपान्तरण, चिकित्सा जैसी वैकल्पिक चिकित्सा आर मनश्चिकित्सीय सहायता भी हैं, उपलब्ध कराई जाएं।

धारा-19 व 20 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख आर संरक्षण) अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी, किशोर अपचारी (ए) के सम्बन्ध में अपनी आख्या न्यायालय में उपलब्ध कराएंगे।

बाल अपचारी (ए) का दोषसिद्ध वारण्ट श्री जगदीश सिंह, कोर्ट मोहरीर तत्काल बनाकर सम्प्रेक्षण गृह/जिला कारागार, फिरोजाबाद दाखिल करना सुनिश्चित करें।

धारा-4(3) उपधारा (1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अधिरोपित जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि

18,000/- रु० (रूपये अठ्ठारह हजार मात्र) पीड़िता के चिकित्सा व्यय आर पुनर्वास की पूर्ति हेतु पीड़िता को दी जायेगी।

बाल अपचारी (ए) को इस निर्णय की प्रति तत्काल निःशुल्क प्राप्त कराई जाये।

उ०प्र० किशोर न्याय (बालकों का देखरेख आर संरक्षण) 2019, नियम 54(21)(i) के अन्तर्गत बालक/संरक्षक को निर्णय की सूचना फौजदारी लिपिक तत्काल देना सुनिश्चित करें।

इस निर्णय की एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी, फिरोजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

विशेष - किशोर न्याय बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 24-09-2021 को एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा आदेश दिनांक 18-11-2021 से अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 24-09-2021 को सम्पुष्ट करते हुए बाल अपचारी (ए) की जमानत निरस्त कर दी। बाल अपचारी (ए) ने उपरोक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में फौजदारी निगरानी संख्या-108/2022 दाखिल की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने विस्तृत आदेश पारित करते हुए आदेश दिनांक 30-05-2022 से बाल अपचारी (ए) की जमानत कुछ शर्ताधीन स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को निर्देशित किया कि इस वाद के निस्तारण के लिए सभी सम्भव प्रयास करें कि वाद का निस्तारण, आदेश के दिनांक से चार माह के अन्दर किसी पक्षकार को अनावश्यक स्थगन न देते हुए करना सुनिश्चित करें। समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उपरोक्त वाद के निस्तारण हेतु माननीय जिला जज, फिरोजाबाद द्वारा पत्र संख्या-3064/XV-2022, दिनांकित 03-11-2022 को समय सीमा बढ़ाए जाने हेतु पत्र सादर प्रेषित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उक्त वाद का निस्तारण गुण दोष पर आज किया जा चुका है। अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को फौजदारी लिपिक, बाल अपचारी वाद के निस्तारण की सूचना तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 24-11-2022

(विजय कुमार आजाद)

विशेष न्यायाधीश/बाल न्यायालय (पोक्सो एक्ट)/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

फिरोजाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 24-11-2022

(विजय कुमार आजाद)
विशेष न्यायाधीश/बाल न्यायालय (पोक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।